



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-325

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 309784 दिनांक 30/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Munni Devi Saini C/o NANAG RAM SAINI	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रामप्रसाद	E29	40.50 SQ. METER	JDA	SHIV ENCLAVE	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदिका श्रीमती मुन्नी देवी द्वारा जविप्रा की योजना शिव एनक्लेव के आवासीय भूखण्ड संख्या ई-29 क्षेत्रफल 40.50 वर्गमीटर का लीजहोल्ड से फ्री होल्ड हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 22.07.2020 को श्री मुकेश कुमार पुत्र के नाम जारी किया गया था। लीजधारक द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.07.2020 के माध्यम से श्रीमती अंशुलता मदान को बेचान किया गया है। तत्पश्चात श्रीमती अंशुलता मदान द्वारा आवेदित भूखण्ड के संबंध में



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

कार्यवाही किये जाने हेतु पंजीकृत मु0आम दिनांक 11.11.2021 के माध्यम से श्री राजीव सैनी को मु0आम नियुक्त किया गया है। मु0आमधारक द्वारा भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2021 के माध्यम से आवेदिका को बेचान किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Munni Devi Saini C/o NANAG RAM SAINI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |